"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2014—आषाढ़ 20, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 जून 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र.से. (1986) की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप उनके राज्य में उपस्थिति देने पर उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा इसके साथ-साथ उन्हें प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण करने पर श्री अजय सिंह, भा. प्र. से. (1983), कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, कृषि एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग केवल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पदभार से मुक्त होंगे.

डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पदभार ग्रहण करने पर श्री विकासशील, भा. प्र. से. (1994), सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग केवल सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पदभार से मुक्त होंगे.

2. श्री सुब्रत साहू, भा. प्र. से. (1992), सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा. प्र. से. (1992), सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग एवं खेल युवा कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. डॉ. एम. गीता, भा. प्र. से. (1997) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप उन्हें महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के पद पर पदस्थ किया जाता है.

डॉ. एम. गीता द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का पदभार ग्रहण करने पर श्री अविनाश चंपावत, भा. प्र. से. (2003), पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग केवल महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के पदभार से मुक्त होंगे.

डॉ. एम. गीता द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के असंवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से. (2006), कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, समाज कल्याण के पद पर पदस्थ किया जाता है. उपरोक्त के साथ-साथ उन्हें प्रबंध संचालक, कृषि विपणन मण्डी बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

श्री सी. आर. प्रसन्ना द्वारा संचालक, समाज कल्याण का पदभार ग्रहण करने पर श्री एस. आर. ब्राहम्णे, भा. प्र. से. (2000), संचालक, समाज कल्याण तथा संचालक, कोष एवं लेखा केवल संचालक, समाज कल्याण के पदभार से मुक्त होंगे.

श्री सी. आर. प्रसन्ना द्वारा प्रबध सचालक, कृषि विपणन मण्डी बोर्ड का पदभार ग्रहण करने पर श्री भुवनेश यादव, भा. प्र. से. (2006) , उप सचिव, सहकारिता विभाग तथा संचालक, उद्यानिकी एवं प्रबंध संचालक, कृषि विपणन मण्डी बोर्ड केवल प्रबंध संचालक, कृषि विपणन मण्डी बोर्ड के पदभार से मुक्त होंगे.

6. श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही., भा. प्र. से. (2006), उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र क्र. 154/छ.ग/2014/ईपीएस/316 दिनांक 16-4-2014 द्वारा राज्य शासन को लौटाई गई है. श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांढ, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2014

क्रमांक एफ 6-7/2008/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के उप खंड (2) के अंतर्गत डॉ. इतवारी राम खुंटे, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर, पद ग्रहण की तारीख से छः वर्ष की पदावधि पूर्ण करने के कारण दिनांक 10-09-2014 (अपरान्ह) को पदमुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2014

क्रमांक एफ 6-7/2008/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-7/2008/1/एक, दिनांक 28-6-14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, सचिव.

Raipur the, 28th June 2014

No. F 6-7/2008/1/One.— Under clause (2) of the Article 316 of the Constitution of India Dr. Itwari Ram Khute, Member, Chhattisgarh Public Service Commission, Raipur shall cease to hold the office on 10-09-2014 (after noon) on completion of the period of 6 years.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
VIKAS SHEEL, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 जून 2014

क्रमांक ई-10-01/2014/1/2.—यत: अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, चाहे वे संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत हो या राज्य के, के चिकित्सा परिचर्या और उपचार के अनुदत्त विशेषाधिकारों और नियत पात्रताओं को शासित करते हैं और उनमें एकरूपता का उपबंध करते हैं :

यत: राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य है कि उक्त नियमों के नियम 12 (क) के उपबंधों के परिणामस्वरूप संघ के कार्यों के लिए सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के चिकित्सा परिचर्या और उपचार के अनुदत्त विशेषाधिकार और नियत पात्रताएं, प्रभाव में वे हैं जो केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त हैं. (सिवाय उन स्थानों में जो योजना के अंतर्गत न हो) :

यत: अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का उनकी सेवा की प्रकृति के कारण, देश में कहीं भी सेवा करनी होती है, और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती की नीति के कारण उनमें से अधिकांश उस राज्य के बाहर से लिए जाते हैं जिसके संवर्ग पर वे धारित हैं :

यत: उक्त तथ्यों व उनकी सेवा के अन्य विशिष्टता के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों और या उनके परिवार के सदस्यों (जिसमें आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं) को, राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा करते हुए भी राज्य के बाहर अवस्थित अस्पतालों में चिकित्सा परिचर्या और उपचार की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारकों में सम्मिलित हैं उपचार और चिकित्सा परिचर्या में निरंतरता, संवर्ग वापसी कर परिवार के किन्हीं सदस्यों के द्वारा बाहर बने रहना (जिसके लिए शैक्षिक और चिकित्सकीय आधारों पर सरकारी आवास के केन्द्र सरकार के विद्यमान नियमों में उपबंध है), अधिवार्षिकी के संदर्भ में उनके गृह राज्य में पुन: बसना और बैठकों, सम्मेलनों, अनिवार्य और ऐच्छिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं, बच्चों की देखरेख और मातृत्व अवकाश की अवधियां, अध्ययन अवकाश, निर्वाचन ड्यूटी, गृहनगर यात्राओं आदि के लिए राज्य के बाहर रहना :

यत: छत्तीसगढ़ राज्य में न तो केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना और न ही कोई तुलनीय योजना संचालित है और ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के चिकित्सा परिचर्या और उपचार के विशेषाधिकारों और पात्रताओं के मामले में संघ और छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा में विषमता है :

यत: राज्य सरकार पूर्वोक्त नियमों के नियम 11 के उपबंधों के आधारभूत सिद्धान्त से सहमत है अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी सदस्य को स्थानान्तर के फलस्वरूप, ऐसे चिकित्सा परिचर्या और उपचार के विशेषाधिकारों के साथ सेवा नहीं करनी होगी जो उनसे निम्नतर हैं जिनके लिए वह अन्यथा पात्र हो और वह यह दृष्टिकोण रखती है कि राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा करने में सेवा शर्तों में ऐसी विषमता वांछनीय नहीं है :

अत: अब छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों (उनके परिवार के सदस्यों सहित) के लिए पूर्वोक्त नियमों के अन्तर्गत उनकी चिकित्सा परिचर्या और उपचार के विशेषाधिकारों और पात्रताओं में गिरावट लाए बिना, सेवा शर्तों में पूर्वोक्त विषमता को कम करने के दृष्टिकोण से, राज्य शासन एतद्द्वारा व्यवस्थाएं स्थापित करता है :-

(1) छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में सेवारत् अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के लिए देश के किसी भी शासकीय चिकित्सालय अथवा चिकित्सा महाविद्यालय (MCI से मान्यता प्राप्त) में नियमित आधार पर नियोजित समस्त चिकित्सकों को प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक (Authorized Medical Attendent) नियुक्त किया जाता है.

(2) अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 के अन्तर्गत प्रावधानित "मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी" (Chief Administrative Medical Officer) के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु एलोपैथिक पद्धति से उपचार के मामले में संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा अन्य पद्धतियों से उपचार के मामलों में संचालक आयुष को एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपचार के मामले में छत्तीसगढ़ आवासीय आयुक्त की पदस्थापना के अंतर्गत पदस्थ चिकित्सक को अधिकृत किया जाता है. परन्तु देश में किसी भी शासकीय चिकित्सालय अथवा चिकित्सा महाविद्यालय (MCI से मान्यता प्राप्त) में उपचार कराने की स्थिति में संबंधित संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल सुप्रीटेंडेंट अथवा मेडिकल डायरेक्टर को अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1954 के अंतर्गत मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी (CAMO) मान्य किया जायेगा.

(3) "अस्पताल" पद के अभिप्राय और वहां प्राप्त उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी उपबंध को एतद्द्वारा निम्नानुसार स्पष्ट और परिवर्धित किया जाता है :-

अस्पताल से अभिप्रेत है कोई भी अस्पताल (जिस पद में उपचार उपलब्ध कराने वाला किसी भी नाम से निर्दिष्ट कोई भी संस्थान या केन्द्र सम्मिलित होगा) जो :-

(क) छत्तीसगढ़ सरकार, या किसी अन्य राज्य की या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, या भारत सरकार द्वारा स्थापित हो, या

(ख) छत्तीसगढ़ सरकार या किसी अन्य राज्य की या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: प्रदत्त धनराशि से पूर्णत: अथवा प्रधानत: वित्त पोषित हो या

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 3) की धारा 2 के खंड (च) में यथा परिभाषित विश्वविद्यालय, या उक्त अधिनियम के धारा 3 के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय माने गए किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान, या संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित संस्थान द्वारा स्थापित या नियंत्रित या प्रदत्त धनराशि से पूर्णत: अथवा प्रधानत: वित्त पोषित या उसकी घटक इकाई हो, या

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी द्वारा स्थापित या नियंत्रित या प्रदत्त धनराशि से पूर्णत: अथवा प्रधानत: वित्त पोषित हो, या

(ङ) सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का क्रमांक 10) की धारा 3 में यथा परिभाषित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित या नियंत्रित या प्रदत्त धनराशि से पूर्णत: अथवा प्रधानत: वित्त पोषित हो, या

(च) अन्य कोई अस्पताल जिसके साथ अपने अधिकारियों के उपचार के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्थाएं की हो, या

(छ) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सेन्ट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सा संस्थान.

(ज) अन्य कोई भी ऐसा अस्पताल जहां प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के द्वारा परिचर्या अथवा उपचार हेतु सन्दर्भित (Refer) किया जाए.

(4) अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 के अन्तर्गत अधिकारी तथा उनके परिवार के सदस्यों को परिचर्या तथा उपचार पर उपगत सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता है परन्तु यदि उपचार किसी ऐसे अस्पताल में कराया जाता है, जिसके साथ छत्तीसगढ़ शासन ने C. G. H. S. की दरों पर उपचार हेतु अनुबंध किया हो तो ऐसे प्रकरण में C. G. H. S. की दरों की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी.

(5). प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत देयक के साथ सक्षम प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक (A. M. A.) द्वारा जारी किया गया आकस्मिकता प्रमाण पत्र (Essentiality Certificate) तथा चिकित्सकीय सलाह व व्हाउचर एवं कैश मेमो मूलत: संलग्न किया जाना आवश्यक होगा.

यदि किसी अधिकारी के परिवार के सदस्य छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य किसी राज्य में निवासरत हैं तब उन्हें उपचार हेतु सन्दर्भित करने के पूर्व प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक (AMA) को मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी (CAMO) से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, तथापि ऐसे सदस्यों की चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी (CAMO) द्वारा देयकों के सत्यापन उपरान्त ही की जाएगी. परंतु देश में किसी भी शासकीय चिकित्सालय अथवा चिकित्सा महाविद्यालय (MCI से मान्यता प्राप्त) में उपचार कराने की स्थिति में संबंधित संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल सुप्रीटेंडेंट अथवा मेडिकल डायरेक्टर को अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1954 के अंतर्गत मुख्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी (CAMO) मान्य किया जायेगा.

(6) अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 के क्रियान्वयन के संबंध में उक्त अधिसूचना दिनांक 04-04-2013 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रसन्ना आर., संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 04 जून 2014

क्रमांक एफ 1-64/2007/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एन. के. पाण्डेय, भा. व. से., वन मंडलाधिकारी, गरियाबंद को दिनांक 06-06-2014 से दिनांक 20-06-2014 तक कुल 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21-22 जून 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डेय , वन मंडलाधिकारी, गरियाबंद वन मंडल के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पाण्डेय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 05 जून 2014

क्रमांक 588/849/2014 /एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रताप सिंह, भा. व. से., आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें को दिनांक 26-05-2014 से दिनांक 07-06-2014 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-05-2014 एवं 08-06-2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये., अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 जून 2014

क्रमांक/एफ 7-19/2014 /एक-14/भापुसे.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18-06-2014 जिसके द्वारा श्री अशोक जुनेजा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव, छ. ग. शासन, गृह विभाग, रायपुर को दिनांक 26-06-2014 से दिनांक 05-07-2014 (10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 06-07-2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है.

2. राज्य शासन द्वारा श्री अशोक जुनेजा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव, छ. ग. शासन, गृह विभाग, रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव, छ. ग. शासन, गृह विभाग, रायपुर का प्रभार श्री हिंमाशु गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2014

क्रमांक एफ 3-23/2014/गृह-दो.—मैदानी गोला बारूद तोप अभ्यास अधिनियम 1983 के अध्याय II की धारा 9 (2) में निहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र/राज्य पुलिस बल के जवानों को प्रशिक्षण के दौरान फायरिंग अभ्यास हेतु ग्राम केपीगांव, तह.-लुण्ड्रा जिला-सरगुजा छ. ग. के दक्षिण दिशा में स्थित भूमि खसरा क्र. 500/554/1 रकबा-34.952 हेक्टर भूमि को फायरिंग रेंज हेतु अधिसूचित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

Raipur, the 18th June 2014

No. 5305/872/21-B/2014.— In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Rev. Dr. Atul Arthur, Diciples Church of Christ (C. N. I.) Pendra Road, for District Bilaspur of State of Chhattisgarh :-

1. to Solemnize Marriage ; and

2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

क्रमांक 5305/872/21-ब/2014 भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) रेव्ह. डॉ. अतुल आर्थर, डिसाइपल्स चर्च ऑफ **खाइस्ट (सी. एन. आई.) पेण्ड्रारोड को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में :-**

1. **विवाह अनुष्ठापित कराने, और**
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

Raipur, the 19th June 2014

No. 5361/763/21-B/2014.— In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Rev. Dr. Ajit Kumar Anand, Community Christian Church, Jamnipali, Korba for District Korba of Chhattisgarh State :-

1. to Solemnize Marriage ; and

2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

क्रमांक 5361/763/21-ब/2014 भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) रेव्ह. डॉ. अजीत कुमार आनंद, कम्यूनिटी क्रिश्चियन चर्च, जमनीपाली, कोरबा को छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में :-

1. विवाह अनुष्ठापित कराने, और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2014

क्रमांक एफ 6-122/सात-1/2012.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, दन्तेवाड़ा तहसील एवं कुंआकोण्डा तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए, नवीन तहसील बड़े बचेली का सृजन करना प्रस्तावित करती है और नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सीमाओं को परिभाषित करती है.

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा और इस संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एस-23, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर को उक्त अवधि के अवसान के पूर्व अग्रेषित किया जा सकता है :-

अनुसूची

स. क्र.	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा तहसील की वर्तमान सीमा से निम्नलिखित ग्रामों को अपवर्जित करते हुए बड़े बचेली तहसील का सृजन, – 1. भांसी 2. पोरोकमेली 3. बड़ेकमेली 4. झारालावा	नवीन तहसील बड़े बचेली की सीमा क्षेत्र पूर्व में-तहसील कुंआकोण्डा पश्चिम में – तहसील बीजापुर उत्तर में – तहसील दन्तेवाड़ा दक्षिण में – तहसील कोंटा

(1)	(2)	(3)	(4)
		5. बड़े बचेली 6. पीनाबचेली 7. पाढ़ापुर 8. बेनपाल 9. नेरली 10. बेहनार 11. मोलसनार 12. उदेला 13. कुहचेपाल 14. गंजेनार 15. दुगेली 16. चोलनार (शिवनापदर)	
2.	कुंआकोण्डा	कुंआकोण्डा तहसील की वर्तमान सीमा से निम्नलिखित ग्रामों को अपवर्जित करते हुए बड़े बचेली तहसील का सृजन,- 1. कड़मपाल 2. किरंदुल 3. कोड़ेनार 4. चोलेनार 5. मदाड़ी 6. समलवार 7. मड़कामीरास 8. पेरपा 9. पीरनार 10. कलेपाल 11. हिरोली 12. पुरंगेल 13. लावा 14. बेंगपाल 15. बोडेपल्ली 16. अलनार 17. कुटरेम 18. गुमियापाल 19. तनेली 20. पेड़का 21. सेमेली 22. माड़ेदा 23. पोटाली 24. अरनपुर 25. अचेली 26. मेण्डपाल 27. ककाड़ी 28. नहाड़ी 29. मुलेर	

New Raipur, the 28th April 2014

F 6-122/सात-1/2012.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said code, the State Government proposes to alter the limits of Dantewada Tahsil and Kuakonda Tahsil, to create a new Bade Bacheli Tehsil, and to define the limits thereof as specified in the Schedule below.

The proposal will be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Room No. S-23, Mahanadi Bhawan Mantralaya, Capitol Complex, Naya Raipur, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Present Tahsil (2)	Nature of Change (3)	Limits (4)
1.	Dantewada	Creation of Bade Bacheli Tahsil by Exclusion of following villages from present boundary of Dantewada Tahsil,- 1. Bhasi 2. Porokameli 3. Badekameli 4. Jhharalawa 5. Badebacheli 6. Pinabacheli 7. Padhapur 8. Benpal 9. Nerli 10. Behnar 11. Molsanar 12. Udela 13. Kuhchepal 14. Ganjenar 15. Dugeli 16. Cholnar (Shivnapadar)	Surrounding areas of New Tahsil Bade Bacheli East-Tahsil Kuakonda West-Tahsil Bijapur North- Tahsil Dantewada South-Tahsil Konta
2.	Kuakonda	Creation of Bade Bacheli Tahsil by Exclusion of following villages from present boundary of Kuakonda Tahsil,- 1. Kadampal 2. Kirandul 3. Kodenar 4. Cholenar 5. Mdadi 6. Samalwar 7. Madkamiras 8. Perpa 9. Pirnar 10. Kalepal 11. Hiroli 12. Purangel 13. Lawa	

14. Bengpal
15. Bodepalli
16. Alnar
17. Kutrem
18. Gumiyapal
19. Taneli
20. Pedka
21. Semeli
22. Mareda
23. Potali
24. Aranpur
25. Acheli
26. Mendpal
27. Kakadi
28. Nahadi
29. Muler

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 25 जून 2014

क्रमांक/06/अ-82/13-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	सिरवाबांधा प.ह.नं. 26	0.87	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा.	सिरवाबांधा जलाशय योजना के नहर में अधिग्रहित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 जून 2014

क्र./4220/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	खैरा प. ह. न. 26	0.129	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	भर्रेगांव-रवेली-राजनांदगांव मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जून 2014

क्र./2537/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	भर्रेगांव प. ह. न. 38	2.437	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	भर्रेगांव-रवेली-राजनांदगांव मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जून 2014

क्र./2541/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कौरिनभांठा प. ह. न. 24	0.024	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	बायपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जून 2014

क्र./2542/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	थैलीटोला प. ह. न. 24	0.032	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन, बैराज संभाग, डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	घुमरियानाला बैराज के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 03 जून 2014

रा. प्र. क्र. /01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-प्रेमनगर
- (ग) ग्राम-सलका, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.28 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
294	0.18
323	0.22
299/3	0.63
319	0.46
90	0.08
92	0.17
24	0.10
23/2	0.24
17	0.50
35	0.20
328	0.64
78	0.12
298	0.31
321	0.64
96	0.04
34	0.65
93	0.02
36	0.60
295/2	1.10
20	0.20
37	0.03
91	0.07
22	0.54
296	0.03
297	0.74
1971	0.05
77	0.20
18	0.48
324/2	0.12
330	0.90
79	0.02
योग 35	10.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-संयुक्त रेल लाईन परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 03 जून 2014

रा. प्र. क्र. /02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-प्रेमनगर
- (ग) ग्राम-चन्दननगर, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1960/2	0.46
1962	0.11
1952	0.16
1964	0.08
1960/1	0.45
1959	0.25
1799/2087	0.02
योग 7	1.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-संयुक्त रेल लाईन परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.